आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–14/2013 शैलेन्द्र प्रसाद सिंह वनाम राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
23.05.2017	*आदेश* प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 14/2013 शैलेन्द्र प्रसाद सिंह पे0 राम बहादुर सिंह, ग्राम–पसराहा, पो0+थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 1180, दिनांक 01.07.2013 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 02 दिनांक 04.01.2013 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें कहा गया कि उपभोक्ताओं का बी0पी0एल0 खाद्यान्न 15 किलो के बदले 14 किलो, चावल 10 किलो के बदले 09 किलो गेहूँ जिसकी राशि 160 रूपये ली जाती है अन्त्योदय खाद्यान्न में 21 किलो के बदले 20 किलो चावल, 14 किलो के बदले 13 किलो गेहँ जिसका मूल्य 120 रूपये लिया जाता है, के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस संबंध में निर्धारित मात्रा में बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय खाद्यान्न निर्धारित दर पर उपभोक्ताओं को मुहैया कराया जाता है। साथ ही उपभोक्ताओं को जिस माह का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है उसी माह कूपन उनके पास लाते है, ! अतिरिक्त कूपन उनके द्वारा नहीं लिया जाता है। उनका यह भी कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के निरीक्षण के दौरान दुकान बन्द पाया गया इस सम्बन्ध में एक दिन महासंघ की रैली में भाग लेने हेतु गए हुए थे एवं दूसरे दिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा भैतिक सत्यापन कराया गया। दिनांक 28.12.2012 को अचानक पेट में दर्द होने के कारण डाक्टर के पास गये थे। उनका यह भी कहना है कि उनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 1180 दिनांक 01.07.2013 से बिक्रता के अनुज्ञप्ति संख्या 46 जी/07 को रद्द कर दिया गया। जबकि उनके द्वारा चावल, गेहूँ एवं किरासन तेल उपभोक्ता को निर्धारित दर पर वार्ड आयुक्त एवं मुखिया की उपस्थिति में वितरण किया जाता है। उनका यह भी कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बिक्रेता का अनुज्ञप्ति	

रद्द करना नियम संगत नहीं है और कानून के तहत यह वाद संधारण योग्य नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश को रद्द करते हुए आवंटन चालू करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिक्रेता के विरूद्ध पानो देवी एवं अन्य 79 आवेदकों द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें जुलाई 2012 में एक माह का राशन देकर तीन माह का कूपन फाड़ लेने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1404 दिनांक 06.08.2012 द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। लेकिन बिक्रेता द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी के पत्रांक 146 दिनांक 28.12.2012 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 28.12.2012 को 12 बजे दिन में बिक्रेता के दुकान का निरीक्षण हेतु गए लेकिन बिक्रेता अनुपस्थित पाये गये और उनके द्वारा बिक्रेता पर नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशसा की गयी। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के निदेशानुसार उपरोक्त उपभोक्ताओं के आरोप के कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गोगरी द्वारा जॉच की गयी तथा उपभोक्ताओं से पूछताछ एवं लिखित ब्यान के आधार पर उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम वजन देने एवं अधिक राशि वसूल करने तथा माह जुलाई 12 में एक माह का खाद्यान्न वितरण कर दो–तीन माह का जबरदस्ती कूपन फाड़ लेने के आरोप में बिक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, खगड़िया को अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में ज्ञापांक 02 दिनांक 04.01.2013 द्वारा बिक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। निरीक्षण के दौरान तीनों बार दुकान बन्द रहने संबंध में बिक्रेता द्वारा एक दिन महासंघ द्वारा आयोजित रैली में भाग लेने, दूसरे दिन अचानक बीमार हो जाने तथा तीसरे दिन के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी के पत्रांक 116 दिनांक 31.05.2013 से प्रतिवेदित किया गया था कि सूचना के अधिकार के तहत विक्रेता शैलेन्द्र प्रसाद सिंह को पत्रांक 145 दिनांक 28.12.2012 द्वारा सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया। लेकिन सूचना उपलब्ध

नहीं कराया गया। बिक्रेता द्वारा दुकान नियमित रूप से नहीं खोलने, उपभोक्ता मंगल तांती, राम विलास रजक एवं सोनी देवी का जबरन कूपन फाड़ लेने, राशन/किरासन कम वजन देने एवं अधिक राशि लेने की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जनता दरवार में भी किया गया तथा उपभोक्ताओं के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखने के आरोप में बिक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया तथा व्यवहार अच्छा नहीं रखने के लिए बिक्रेता से 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए 2001 कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत धारा के अन्तर्गत कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उपरोक्त पदाधिकारियों के अनुशंसा के आलोक में जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री शैलेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा उपभोक्ताओं के प्रति भ्रष्ट आचरण करने के आलोक में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधान के तहत श्री शैलेन्द्र प्रसाद सिंह, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता की अनुज्ञप्ति सं0 46 जी/07 को रद्द किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि बिक्रेता दूकान के निरीक्षण की तिथि को महासंध की रैली में भाग लेने के लिए गए हुए एवं दूसरे दिन अचानक पेट में दर्द होने के कारण इलाज हेतु गए हुए थे। जिस कारण दुकान से अनुपस्थित थे। बिक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को सही वजन दिया जाता है तथा निर्धारित दर लिया जाता है। विक्रेता के स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है, जो नियम संगत नहीं है। उनके द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 339/016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2016 को पारित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1180 दिनांक 0107.2013 रद्द करने तथा अपीलार्थी का आवंटन चालू करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 339/2016 का अवलोकन किया।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 339/2016 शैलेन्द्र प्रसाद सिंह वनाम् राज्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 09.02.2016 को पारित आदेश में समाहर्त्ता, खगड़िया को ई0सी0 (आपूर्ति) वाद अपील संख्या–14/2013 में अंतिम निर्णय लेने का निदेश दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि बिक्रेता द्वारा उपभोक्ता से जबरन कूपन लेने राशन/किरासन का वजन कम देने एवं अधिक राशि लेने तथा बिक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं से व्यवहार अच्छा नहीं करने, दूकान बन्द रखने काफी गंभीर प्रकृति का आरोप है, जो अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का घोर उल्लंघन है।

अतःउक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी का आदेश ज्ञापांक 1180 दिनांक 01.07.2013 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।